

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, लाडपुरा
जिला-कोटा



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक: RJ30/2014/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/6117
09-2014

दिनांक 03-

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी अपेक्षा कुमारी मेघवाल पुत्री दुर्गाशंकर गांव/नगर छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मेघवाल (46) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुधिया (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, संजय पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (करोड़) अधिनियम 1976 द्वारा पदा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा पदा संशोधित संविधान (अपठमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (द्वारा तथा चमार हुबेरी) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (द्वारा तथा चमार हुबेरी) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडेचरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (द्वारा प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (पंजाब) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी अपेक्षा कुमारी मेघवाल गांव/नगर छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा जिला/डिवीजन कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणीकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, लाडपुरा

Signature valid

Digitally signed by
GAJENDRA SINGH
Date: 2014.09.03
00:31:51 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1430023510086679